



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

### आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-142

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 273538 दिनांक 23/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

| क्र.सं. | आवेदक का नाम                         | मूल आवंटी/लीजधारक का नाम                   | भूखण्ड संख्या | भूखण्ड क्षेत्रफल | गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना | योजना का नाम                                 | सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया | कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Shubham Patni S/o MUKESH KUMAR PATNI | श्री गंगाराम चौधरी पुत्र श्री नारायण चौधरी | S11           | 11.11 SQ. YARD   | Private                                | BANK OFFICERS CAMPUS -C<br><br>Sector/Block- | Name Transfer                 | निजी खातेदारी की योजना बैंक ऑफीसर्स कैम्पस सी-ब्लॉक के भूखण्ड संख्या एस-11 क्षेत्रफल 11.11 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 19.08.2010 को श्री गंगाराम चौधरी पुत्र श्री नारायण चौधरी के नाम से जारी की गई। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.10.2012 श्री गंगाराम चौधरी पुत्र श्री नारायण चौधरी के द्वारा श्री जितेन्दर गुलाठी पुत्र श्री तिलक राज गुलाठी के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक |



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

04.12.2023 को श्री जितेन्द्र गुलाठी पुत्र श्री तिलक राज गुलाठी के द्वारा श्रीमती निधि मित्रुका पत्नि श्री विक्रम राय मित्रुका के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2025 को श्रीमती निधि मित्रुका पत्नि श्री विक्रम राय मित्रुका के द्वारा श्री शुभम पाटनी पुत्र श्री मुकेश कुमार पाटनी के पक्ष में कर दिया गया। आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड में एक से अधिक बैचान होने के कारण सार्वजनिक विज्ञप्ति करवाया जाना अपेक्षित है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

### प्रतिलिपि:-

1. Shubham Patni S/o MUKESH KUMAR PATNI को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।